कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 104/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 16.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 16.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति

आजमगढ़ पुलिस का संगठित साइबर ठग गिरोह पर उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का प्रहार

1,10,00,00,000 रुपये (110 दस करोड़ रुपये) का अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के गैंग लीडर सहित 17 अपराधियों पर हुई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही। विवेचना के दौरान इनका संबंध चीन, दुबई व अन्य देशों के हैण्डलरों से भी पाया गया था।

फर्जी PM KISAN YOJANA(.APK) (पीएम किसान योजना एपीके ऐप) ऐप/लिंक व इन्वेस्टमेंट स्किम के जरिए करते थे ठगी/फर्जीवाड़ ।

साइबर अपराधियों से 26 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 14 एटीएम कार्ड, ₹ 26,500/- नगद, घटना में प्रयुक्त 02 कार व भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद कर अभियुक्तों के बैंक खातों में फ्रीज़ कराये गये थे लगभग 17,50,000 रुपये (सत्रह लाख पचास हजार रुपये)

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के संस्तुति के बाद ***दिनांक 16.03.2026 को जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा गैंगचार्ट अनुमोदनोपरान्त, थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 13/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम के तहत*** अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡ दिनांक 18.11.2025 को पीड़ित करन गुप्ता, निवासी बिन्द्रा बाज़ार, गंभीरपुर, आज़मगढ़ के व्हाट्सऐप नंबर पर APK लिंक भेज कर, इंस्टॉल कराकर उसके खाते से लगभग ₹7,77,000/- की अवैध निकासी की गई।

➡ जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 37/2025 धारा 318(4) BNS व 66D IT ACT से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को दिनांक 30.11.2025 को तथा 15 अभियुक्तों को दिनांक 08.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार समस्त अभियुक्तों से ***26 मोबाइल फोन, 15 सिम, 14 एटीएम कार्ड, ₹ 26,500/- नगद, घटना में प्रयुक्त 02 कार व भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए अभियुक्तों के बैंक खातों में लगभग ₹17,50,000 रुपये (सत्रह लाख पचास हजार रुपये) की राशि फ्रीज़*** कराया गया था।

➡ यह गिरोह फर्जी "PM KISAN YOJANA (.APK)" ऐप भेजकर लोगों के मोबाइल हैक कर उनके बैंक खातों से धन की अवैध निकासी करता था।

गैंस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही किये गये 17 अभियुक्तों का विवरण-

1. सुल्तान अंसारी पुत्र वकील अंसारी, नि0 वेलोनारी, पोस्ट बंडिया बांध, थाना बेंगा बाँध, जनपद ***गिरीडीह झारखण्ड (गैंग लीडर)***
2. परवेज अंसारी पुत्र फकरूद्दीन अंसारी,निवासी ग्राम बरडीहा लाला, थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया, वर्तमान पता : प्लॉट नं. 22, स्टार सिटी, उत्तरधौना, थाना बीबीडी, ***लखनऊ उ0प्र0***
3. मो0 कलीम पुत्र अली हसन, निवासी उत्तरधौना, तिवारीगंज, थाना बीबीडी, ***लखनऊ उ0प्र0 ।***
4. इमरान अली उर्फ समद पुत्र इस्लाम नबी, निवासी भण्डपुरा, थाना शहजाद नगर, जनपद ***रामपुर उ0प्र0*** *
5. अंकित कुमार पुत्र सुरेश सिंह, निवासी स्वरूपनगर स्ट्रीट नं0-16, हा0नं0 463 थाना स्वरूप नगर, जनपद ***अलीपुर, दिल्ली**

।*

6. सरफराज पुत्र इसराफिल, नि0 ग्राम बैजनाथपारा नूरजहां होटल के पीछे, थाना मोधापारा,जनपद ***रायपुर, छत्तीसगढ़** *।
7. आदेश सिंह पुत्र अजय कुमार निवासी B 734 वर्ल्ड बैंक बर्रा कानपुर नगर थाना नौबस्ता जनपद ***कानपुर उ0प्र0 ।***
8. अमन प्रताप निषाद पुत्र राजेश कुमार निषाद निवासी ओबरा चोपन रोड हा0नं0 04/11 थाना ओबरा, जनपद ***सोनभद्र उ0प्र0 ।***
9. अमित सिंह पुत्र अंगद सिंह, निवासी अवती, थाना नक्सर, जनपद***गाजीपुर उ0प्र** ।*
10. अतुल सिंह चौहान पुत्र कृष्णपाल सिंह चौहान, निवासी पकड़िया, थाना निगोही, जनपद ***शाहजहाँपुर, उ0प्र0** ।*
11. विनायक मालवीय पुत्र स्व0 संजीव कुमार मालवीय, निवासी सेक्टर 9 ओबरा, थाना ओबरा, जनपद ***सोनभद्र, उ0प्र0** ।*
12. अर्जुन सिंह पुत्र जितेन्द्र नाथ सिंह, निवासी 4 FT 24 सेक्टर 4 ओबरा, थाना ओबरा, जनपद ***सोनभद्र, उ0प्र0** ।*
13. अतुल आनन्द पुत्र मनोज सिंह, निवासी R R मेमोरियल हास्पिटल के पीछे , आलू मिल, चकिया रोड मुगलसराय, जनपद ***चन्दौली, उ0प्र0** ।*
14. पकंज पाण्डेय पुत्र जनार्दन पाण्डेय, निवासी शास्त्री कालोनी, थाना मुगलसराय, जनपद ***चन्दौली, उ0प्र0** ।*
15. अभिनव उर्फ मोनू चौरसिया पुत्र कैलाश चौरसिया, निवासी रिगौली बाजार, थाना कैम्पियरगंज, जनपद ***गोरखपुर, उ0प्र0**।*
16. चन्द्रभूषण सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह, निवासी उतरौली, थाना रेवतीपुर, जनपद ***गाजीपुर, उ0प्र0** ।*
17. ब्रिजेश कुमार पुत्र शम्भू राम, निवासी जमुनीनार, पोस्ट कोल्हुआ, थाना अधौरा, जनपद ***कैमूर भभूआ, बिहार** ।*

आपराधिक इतिहास-

क्रम सं0- 08 अमन प्रताप निषाद पुत्र राजेश कुमार निषाद निवासी ओबरा चोपन रोड हा0नं0 04/11 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उ0प्र0 अस्थायी पता बसेरा इन्कलेव, नियर लुलु माल, सेक्टर 8, लखनऊ, उ0प्र0।

क्र0सं	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
1	37/25	318(4),111(4),317(2) BNS व 66D IT ACT	साइबर क्राइम	आजमगढ़
2	136/23	323,504,506 भादवि	ओबरा	सोनभद्र

***क्रम सं0**-15* अभिनव उर्फ मोनू चौरसिया पुत्र कैलाश चौरसिया निवासी रिगौली बाजार थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर उ0प्र0

क्र0सं	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
1	37/25	318(4),111(4),317(2) BNS व 66D IT ACT	साइबर क्राइम	आजमगढ़
2	456/25	303(2),317(2) BNS	मेंहदावल	सन्तकबीर नगर

क्रम सं0- 16 चन्द्रभूषण सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी उतरौली थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर उ0प्र0 अस्थायी पता शान्तिपूरम, सेक्टर सी, फाफामऊ, प्रयागराज, उ0प्र0

क्र0सं	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
1	37/25	318(4),111(4),317(2) BNS व 66D IT ACT	साइबर क्राइम	आजमगढ़
2	204/25	318(4),351(4),319(2) BNS व 66D IT ACT	साइबर क्राइम	लखनऊ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनजान नंबर द्वारा भेजी गई APK फाइल को अपने मोबाइल में डाउनलोड या इंस्टॉल न करें। ऐसी फाइलों में वायरस/मालवेयर हो सकता है, जिससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है तथा बैंक खाते, OTP, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है। कृपया किसी भी संदिग्ध लिंक या APK फाइल को न खोलें और साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहें।

सतर्क रहें – सुरक्षित रहें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 अनिल कुमार

जनपद आजमगढ़ ।

उत्तर प्रदेश पुलिस